महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – पचासवां संस्करण (माह दिसंबर, 2019)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. ''सुजल एवं स्वच्छ गांव'' विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
3. सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन इंटरनल ऑडिट ऑफ रुरल डेवलपमेंट
4. जीपीडीपी पोर्टल
5. पोषण अभियान
6. 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज ''व्यवस्था की आत्मा''
7. ग्राम पंचायत विकास योजना
8. ग्राम संवाद एप
9. स्व–सहायता समूह का परिणाम
10. बदलाव की पहचान बने ग्रामीण क्षेत्र के चैम्पियन
11. गोबर से ईको फ्रेंडली ईधन
12. कुण्ठित हो रहा है बालकों का बचपन
13. अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट उपबंधों में ग्रामसभा का सशक्तिकरण
14. नशीले पदार्थो के दुरूपयोग की रोकथाम विषय पर क्षमतावर्धन कार्यक्रम
15. पेय जल स्वच्छता प्रबंधन प्रशिक्षण

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by Jay Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का पचासवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2019 का आठवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत **''सुजल एवं स्वच्छ गांव'' विषय पर प्रशिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण''** एवं **''सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन इंटरनल ऑडिट ऑफ रुरल डेवलपमेंट'' का 21 दिवसीय सर्टीफिकेशन कोर्स** समाचार आलेख के माध्यम से महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान अधारताल जबलपुर में आयोजित दो महत्वपूर्ण प्रशिक्षणों को शामिल किया गया है।

साथ ही **''ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पोर्टल'', ''पोषण अभियान'', ''73वां संविधान संशोधन पंचायत राज – व्यवस्था की आत्मा'', ''ग्राम पंचायत विकास योजना'', ''ग्राम संवाद एप'', ''स्व–सहायता समूह का परिणाम'', ''बदलाव की पहचान बने ग्रामीण क्षेत्र के चैम्पियन'', ''गोबर से ईको फ्रेंडली ईधन'', ''अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट उपबंधों में ग्रामसभा का सशक्तिकरण'', ''नशीले पदार्थो के दुरूपयोग की रोकथाम विषय पर क्षमतावर्धन कार्यक्रम''** एवं **''पेय जल स्वच्छता प्रबंधन प्रशिक्षण''** आदि आलेख को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ''सुजल एवं स्वच्छ गांव'' विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ''सुजल एवं स्वच्छ गांव'' विषय पर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान में संस्थान, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भारत सरकार, यूनिसेफ एवं प्राइमोव संस्था, पुणे, महाराष्ट्र के सहयोग से दिनांक 11 से 15 नवम्बर 2019 की अवधि में 5 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण 2 सत्रों का आयोजित किया गया। जिसमें प्रथम सत्र में जिला जबलपुर, शहडोल, नरसिंहपुर, कटनी, उमरिया, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिण्डौरी, ग्वालियर, भोपाल से कुल 53 प्रतिभागी एवं द्वितीय सत्र के जिले सिंगरौली, टीकमगढ़, सीधी, दमोह, सागर, पन्ना, सतना, रीवा, छतरपुर से कुल 45 प्रतिभागी उपस्थित हुये।

कार्यक्रम का शुभारंभ संचालक, डॉ. संजय कुमार सराफ, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान उपसंचालक श्री शैलेन्द्र कुमार सचान,यूनिसेफ एवं प्राइमोव संस्था, पुणे, महाराष्ट्र के प्रशिक्षकों एवं स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया। प्रशिक्षण अंतर्गत पूरे कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुये प्रतिभागियों को उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण की रणनीति, पाठ्य सामग्री, मॉड्यूल आदि पर चर्चा करते हुये उनकी भूमिका का महत्व बताया गया।

इस पॉच दिवसीय कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सुजल एवं स्वच्छ गांव में सेवा प्रदाय करने हेतु सेवाओं के महत्व, गांव में पेयजल की मांग एवं इसकी उपलब्धता, पेयजल का रख–रखाव, स्वच्छ पानी का प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त की स्थिति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति, पेयजल एवं स्वच्छता सुविधायें हेतु रिसोर्स एनवलप, सुजल एवं स्वच्छ गांव हेतु आईईसी गतिविधियां, स्वच्छताग्राहियों की भूमिका विषय पर चर्चा कर प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। प्रशिक्षण के चतुर्थ दिवस प्रतिभागियों को जिला पंचायत, जबलपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत, बंदरकोला एवं घुन्सौर का भ्रमण कर सुजल एवं स्वच्छ गांव के मानकों का आंकलन कर ग्रामीणों के साथ साझा किया।

उपरोक्त प्रशिक्षण में स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय से संचार सलाहकार, श्री साबिर इकबाल, एम एण्ड ई सलाहकार श्री रविशंकर एवं संभागीय सलाहकार श्री साश्वत नायक ने हिस्सा लिया। इस पूरे कार्यक्रम का समन्वय संकाय सदस्य श्री नीलेश राय एवं संकाय सदस्य श्री सुरेन्द्र प्रजापति द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण के अंतिम दिवस समापन कार्यक्रम में जबलपुर जिले के अपर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा एवं डॉ. संजय कुमार सराफ, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान उपसंचालक श्री शैलेन्द्र कुमार सचान, यूनिसेफ एवं प्राइमोव संस्था, पुणे, महाराष्ट्र के प्रशिक्षकों एवं स्त्रोत व्यक्तियों ने प्रशिक्षणार्थियों को उनके कार्यों एवं उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर प्रमाण पत्र वितरित कर सत्र का समापन किया।

सुरेन्द्र प्रजापति
संकाय सदस्य

सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन इंटरनल ऑडिट ऑफ रुरल डेवलपमेंट

ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 लाख 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक के व्यय के साथ ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों – जैसे कि MGNREGS, NRLM, DDUGKY, PMGSY, NSAP, PMAY(G) आदि का संचालन करता है। इन कार्यक्रमों जवाबदेही उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु एक सशक्त फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य सरकारी कार्यों के वित्तीय और गैर–वित्तीय दोनों पहलुओं को देखना है और सरकारी धन का सदुपयोग सुनिश्चित करना है।

आंतरिक लेखापरीक्षा पर विशेषज्ञ सलाहकार समूह के सुझाव अनुसार सेवानिवृत्त और सेवारत लेखा

अधिकारियों के साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों का एक पूल बनाने और उन्हें आंतरिक लेखा परीक्षा पर तीन सप्ताह के प्रमाणपत्र कार्यक्रम के साथ प्रशिक्षित किए जाने की भारत शासन की योजना है सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होने के बाद प्रतिभागियों को कार्यालय चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के साथ रखा जाएगा। इस प्रकार देश भर में 5000 आंतरिक लेखा परीक्षकों के पूल बनाने की योजना है। इतना बड़ा पूल बनाने के लिए NIRDPR में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा एसआईआरडी और अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण दिये जा रहे है।

इस प्रशिक्षण में प्रतिभागी भारत सरकार के एजी/सीएजी कार्यालय, लेखा परीक्षा से सेवानिवृत्त अधिकारियों और मंत्रालयों के लेखा प्रभागों से, कोषागार से, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से, निगरानी और मूल्यांकन विशेषज्ञों, शिक्षण वित्त/खातों या संबंधित विषयों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, पीओ/सीईओ/बीडीओ जैसे जिन्होने आरडी कार्यक्रमों के साथ काम किया, होगें।

मुख्य लेखा नियंत्रक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित ''सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन इंटरनल ऑडिट ऑफ रुरल डेवलपमेंट'' 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान में दिनांक 5. 11.2019 से 25.11.2019 तक आयोजित किया गया। इस कोर्स के मास्टर ट्रेनर हेतु लेखा एवं ग्रामीण

विकास की योजनाओं में पारंगत व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर, मुख्य लेखा नियंत्रक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत शासन द्वारा अनुमोदित किया गया, उसके बाद इन प्रशिक्षणर्थियों राश्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, हैदराबाद में 21 दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिसमें प्रदेश के 7 प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

यह प्रमाणपत्र कार्यक्रम 21 दिनों का है जिसमें एक सप्ताह का क्षेत्र भ्रमण शामिल है। प्रशिक्षण मूल्यांकन में दो भाग शामिल है– इन–क्लास और प्रैक्टिकल, इन–क्लास मूल्यांकन को स्क्रीनिंग टेस्ट माना गया है और केवल 50% से अधिक अंक पाने वाले प्रतिभागियों को ही फील्ड विजिट पर जाने की

अनुमति है। प्रमाणपत्र केवल उन उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जो कुल अंकों का 60% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। 60 प्रतिशत से कम प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता।

प्रशिक्षणार्थियों के चयन के लिये संस्थान द्वारा प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी एकत्र की गई। उक्त प्रशिक्षणार्थियों की सूची को मुख्य लेखा नियंत्रक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत शासन द्वारा अनुमोदित किया गया, उसके बाद इन प्रशिक्षणार्थियों को महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर में 21 दिवस का प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें प्रदेश के 19 एवं अन्य प्रदेशों के 02 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रशिक्षण मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की अवधारणाओं और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना, MoRD द्वारा तैयार आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल और MoRD द्वारा विकसित GRIP पोर्टल के बारे में जानकारी देना, भारत के प्रमुख कार्यक्रमों और इन कार्यक्रमों से जुड़े जोखिमों की जानकारी देना, एमओआरडी के सलाहकारों द्वारा निर्देशित वास्तविक आंतरिक ऑडिट के संचालन से संबंधित जानकारी प्रदान करना है।

डॉ. त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पोर्टल

''सबकी योजना सबका विकास'' जन योजना अभियान परिचय –

- ''सबकी योजना सबका विकास'' (दिनांक 2 अक्टूबर 2019 से 31 दिसम्बर 2019) जन योजना अभियान अंतर्गत ''ग्राम पंचायत विकास योजना 2020–21'' तैयार करना।
- अभियान अंतर्गत प्रदेश की सभी 22812 ग्राम पंचायतों की जीपीडीपी तैयार करना।
- ग्राम सभाओं द्वारा बनाई योजना को ग्रामसभा में अनुमोदन के बाद भारत सरकार के विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना होगा।

पोर्टल की मुख्य विशेषताऐं –

- विशेष ग्राम सभा का कैलेण्डर (Schedule) एंट्री करना।
- ग्राम सभा के लिए फेसीलिटेटर Assign करना।
- सफलता पूर्वक यूजर रजिस्ट्रेशन पर SMS/email based notifications की सुविधा।
- विशेष ग्राम सभा पूर्ण होने के पश्चात फेसीलिटेटर द्वारा फीडबैक फार्म सबमिट करना।
- विशेष ग्राम सभा एवं जन सूचना बोर्ड की लोकेशन सहित फोटो जियोटेगिंग करना।
- जीपीडीपी पोर्टल की एंड्रायेड मोबाईल एप्लीकेशन भी प्ले–स्टोर पर उपलब्ध है

जीपीडीपी पोर्टल पर लक्षित यूजर

- राज्य नोडल अधिकारी
- लाईन डिपार्टमेन्ट के राज्य नोडल अधिकारी
- जिला/जिला पंचायत अधिकारी
- विकासखण्ड/जनपद पंचायत अधिकारी
- सुविधाकर्ता (फेसीलिटेटर)
- शीर्ष के कार्यकर्ता (फ्रंटलाईन वर्कर)
- केन्द्र के लाईन मंत्रालय
- नागरिक

फेसीलिटेटर का चयन एवं उनकी भूमिका

- प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के लिए फेसीलिटेटर की नियुक्ति राज्य करेगा।

- एम.ए. एप की सहायता से मिशन अंत्योदय के अंतर्गत सर्वेक्षण कराना।
- भागीदार मंत्रालयों/विभागों के शीर्ष कर्मचारियों के साथ समन्वय करना।
- जीपीडीपी तैयार कराने हेतु आयोजित विशेष ग्राम सभा सहायता प्रदान करना।
- ग्राम सभा के लिए अजा/अजजा/महिलाओं/अल्पसंख्यकों/विकलांगों जैसे कमजोर वर्गो सहित समुदाय संग्रहण को सुनिश्चित करना।
- स्व–सहायता समूहों/युवा समूहों/धार्मिक समितियों एवं अन्य सामुदायिक संगठनों को ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए सहायता प्रदान करना।
- ग्राम सभा समाप्ति पर उसकी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना।
- जीपीडीपी पोर्टल पर अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का कैलेण्डर (Schedule) एंट्री करना।
- विशेष ग्राम सभा पूर्ण होने के पश्चात ग्राम सभा का फीडबैक फार्म सबमिट करना।
- विशेष ग्राम सभा एवं जन सूचना बोर्ड की लोकेशन सहित फोटो जियोटेगिंग करना।
- प्लान प्लस पोर्टल पर अनुमोदित जीपीडीपी अपलोड करना।

फ्रंट लाईन वर्कर (शीर्ष के कार्यकर्ता) की भूमिका

- संबंधित विभागों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना और उन आंकड़ों का अद्यतनीकरण करना।
- प्रस्तावित क्रियाकलापों की स्थिति और पिछले वित्तीय वर्ष में संवितरित निधियों का ब्यौरा दर्शाना, इन आंकड़ों को विस्तृत रिपोर्ट में शामिल करने में सहायता करना।
- शीर्ष कार्यकर्ता जीपीडीपी के प्रारूप को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे तथा ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित विकास संगोष्ठी में अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव देंगे।

विशेष ग्राम सभा कैलेण्डर

- ग्राम सभा के आयोजन के लिए ग्राम सभा वार कैलेंडर को ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- यदि सभी ग्राम सभा बैठकों में लाइन विभाग से फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कर राज्य/जिला/ब्लॉक एक ही तिथि में एक से अधिक ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कर सकते हैं।

विशेष ग्राम सभा कैलेण्डर (Special Gram Sabha) Schedule की एंट्री करना

- District Name – राज्य में उपलब्ध सभी जिले ड्रॉप डाउन में चयन के लिए उपलब्ध होंगे। उपयोगकर्ता जिला नाम का चयन कर सकता है, जिसके लिए विशेष ग्राम सभा को निर्धारित किया जाना है।
- Block Name – सिलेक्ट जिले के अनुसार सभी ब्लॉक ड्रॉप डाउन में उपलब्ध होंगे। जो Local Government Diary (LGD) के अनुसार आ रहे हैं।
- Gram Panchayat Name – ब्लॉक के चयन के अनुसार, सभी ग्राम पंचायत को ड्रॉप डाउन में सूचीबद्ध किया जाएगा। उपयोगकर्ता उस ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है जिसमें विशेष ग्राम सभा को निर्धारित किया जाना है।

- Gram Sabha Schedule Date – कैलेंडर से एक तारीख का चयन करें, जिस पर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी।
- Facilitator – एक ग्राम पंचायत के लिए एक तिथि पर एक ही फेसीलिटेटर नियुक्त किया जाएगा।
- Gram Panchayat Address – ग्राम पंचायत का पता दर्ज किया जाएगा
- Gram Panchayat Pin code – ग्राम पंचायत का पिन कोड दर्ज करना है।
- List of Participating line department and Frontline Worker details –भाग लेने वाले सभी लाइन डिपार्टमेंट को सूचीबद्ध करने हेतु

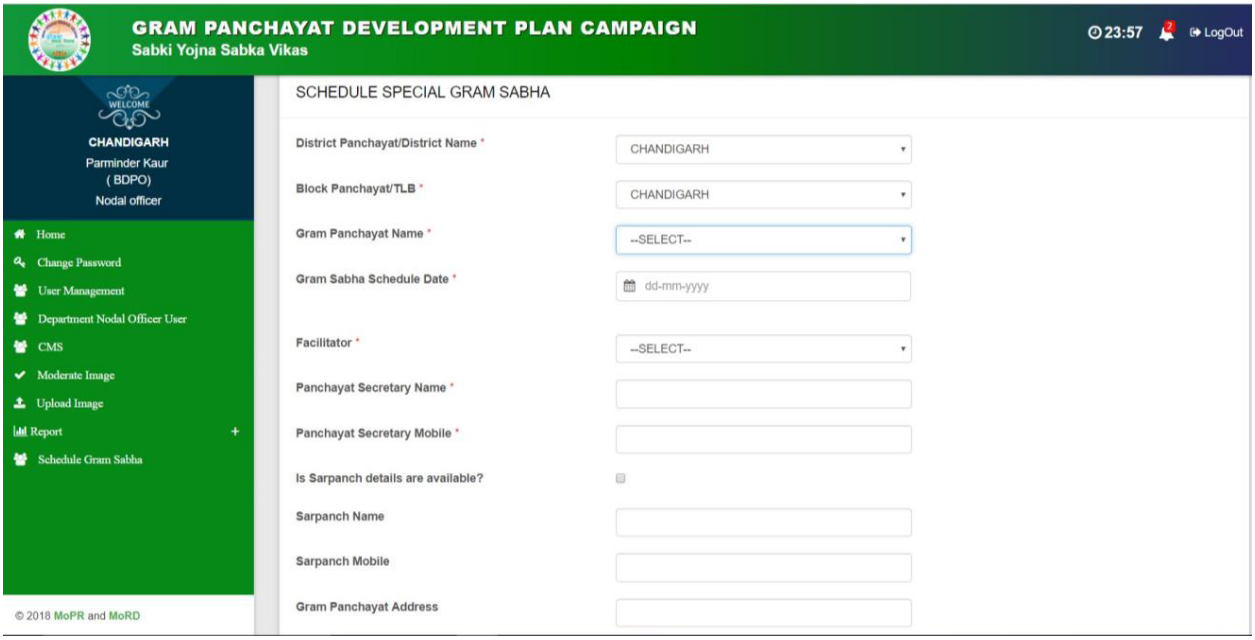

- Panchayat Secretary Name – विशेष ग्राम सभा का समय निर्धारित करते हुए पंचायत सचिव विवरण नाम टाईप करेंगे।
- Panchayat Secretary Mobile Number – पंचायत सचिव के मोबाइल नंबर को भी दर्ज किया जाना है।
- Sarpanch Name (यदि जानकारी उपलब्ध है तो) – अगर सरपंच है, तो सरपंच का विवरण भी दर्ज किया जाएगा
- Sarpanch Mobile number (यदि मोबाईल नं. उपलब्ध है तो) – सरपंच का मोबाइल नंबर दर्ज करना है।

चेकबॉक्स पर क्लिक कर, लाइन डिपार्टमेंट का चयन करें और विभाग के विरूद्ध पंजीकृत वर्कर की ड्रॉपडाउन सूची से चयन करें, जो ग्राम सभा के दौरान मौजूद रहेंगे।

- Reason – सभी प्रविष्टियों के लिए विशेष ग्राम सभा को निर्धारित नहीं करने के लिए कारण दर्ज करें।

सभी विवरण दर्ज कर Save बटन पर क्लिक करें।

Facilitator Feedback Report की एंट्री करना

- विशेष ग्राम सभा बैठक के पूर्ण होने पर, ग्राम सभा की बैठक के संचालन के बारे में

फेसीलिटेटर द्वारा फीडबैक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- Gram Panchayat Name: ड्रॉप डाउन से ग्राम पंचायत नाम का चयन करें।
- Gram Sabha Date: जैसे ही ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है, ग्राम सभा की तिथि अपने आप प्रदर्शित हो जायेगी।
- No. of People present in Gram Sabha: ग्राम सभा में उपस्थित कुल लोगों की संख्या यहाँ दर्ज करना है।
- No. of SC's present in Gram Sabha: ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जाति के लोगों की कुल संख्या यहां दर्ज की जाना है।
- No. of ST's present in Gram Sabha: ग्राम सभा में मौजूद अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुल लोगों की संख्या यहां दर्ज की जाना है।
- No. of SHG members present in Gram Sabha: ग्राम सभा में उपस्थित कुल SHG सदस्यों की संख्या यहाँ दर्ज की जाना है।
- No. of Women members present in Gram Sabha: ग्राम सभा में उपस्थित कुल महिलाओं की संख्या यहाँ दर्ज की जा सकती है।
- सभी विभाग के नामों को सूचीबद्ध किया जाएगा और सदस्य विभाग उपस्थित है।
- चेक बॉक्स का चयन करें कि क्या मिशन अंत्योदय डेटा सही है और ैभ्ळ सदस्य च्वअमतजल तमकनबजपवद चसंद प्रस्तुत किया है।
- GPDP के बारे में ग्राम सभा में जिन क्षेत्रों में चर्चा की गई है, उनके लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
- ग्राम सभा के चित्र और वीडियो अपलोड करना है।
- फीडबैक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए Save बटन पर क्लिक करें।

अपलोड इमेज (Upload Image)

- यूजर को GPDP वेब पोर्टल में लॉग इन करके ग्राम सभा, जन सूचना बोर्ड और प्रशिक्षण की जियोटैग फोटो अपलोड करना है।

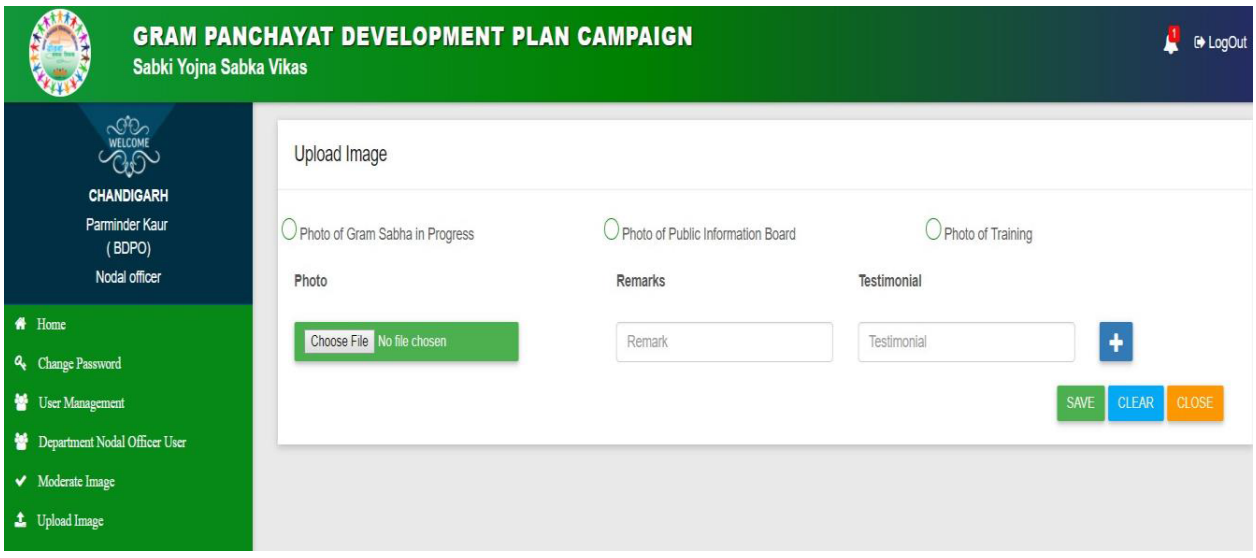

- राज्य नोडल अधिकारी, राज्य लाइन डिपार्टमेंट अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, ब्लॉक नोडल अधिकारी और फेसीलिटेटर को फोटो को अपलोड करने का विकल्प दिया गया है।
- अपलोड फोटो एप्रूव होने के पश्चात ही वेब पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से देखी जा सकेगी।
- जियोटैग की गई फोटो को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी अपलोड किया जा सकता है।
- GPDP फैसिलिटेटर रिपोर्ट नाम का मोबाइल एप्लिकेशन Android आधारित है जिसे एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

Moderate/Approve Image (अपलोड इमेज एप्रूव करना)

- इस आप्शन के माध्यम से अपलोड की गई फोटो को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित होने से पहले राज्य नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जावेगा।
- राज्य नोडल अधिकारी फोटो को अप्रूव या अनअप्रूव किया जा सकता है।
- जीपीडीपी पोर्टल के मुख पृष्ठ पर केवल स्वीकृत फोटो ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होंगे।
- अप्रूव फोटो कभी भी राज्य नोडल अधिकारी द्वारा अनअप्रूव कर सकते हैं।

Content Management System (CMS)

- प्रशासन/मंत्रालय जीपीडीपी अभियान से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं।
- अपलोड किए गए दस्तावेजों को जीपीडीपी पोर्टल के होम पेज से देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।
- अपलोड किए गए दस्तावेजों को किसी भी समय प्रशासन/मंत्रालय यूजर द्वारा अद्यतन या बदला जा सकता है।
- जैसे ही यूजर GPDP पोर्टल में प्रवेश करता है, बाएं मेनू पर एक विकल्प CMS होता है।
- यूजर को दस्तावेज प्रकार का चयन करना होगा।
- वर्गीकरण के लिए 6 श्रेणियों को परिभाषित किया गया है।

1. Campaign Material
2. Campaign Schedule
3. Circular/Letters
4. Government Orders
5. Other Relevant Information
6. Presentations

DOWNLOADS Option (अभियान संबंधी दस्तावेज डाऊन लोड आप्शन)

- Download Option पर क्लिक करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी।
- जिससे Statewise Document File को कोई भी यूजर अथवा आम नागरिक कहीं से भी Download कर सकता है।

जय कुमार श्रीवास्तव,
कम्प्यूटर प्रोग्रामर

पोषण अभियान (जन आन्दोलन के रूप में)

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण – देश रोशन

कुपोषण की समस्या पीढ़ी दर है और यह कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमं, अन्य बातों के साथ–साथ, इष्टतम शिशु और युवा बाल आहार (आई.वाई. सी.एफ.) प्रथाओं, प्रतिरक्षण, संस्थागत प्रसव, प्रारंभिक बचपन का विकास, आहार पुष्टिकरण, कृमि– नाशन, सुरक्षित पेयजल की सुलभता और उचित स्वच्छता, आहार विविधीकरण, ओ.आर.एस.–जिंक और अन्य सम्बंधित कारक शामिल हैं। अतः बच्चों में, विशेष रूप से ठिगनेपन, अल्प–वज़न और अवरूद्ध विकास की समस्या का समाधान करने के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता और बुनियादी तालमेल एवं अभिसरण केलिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

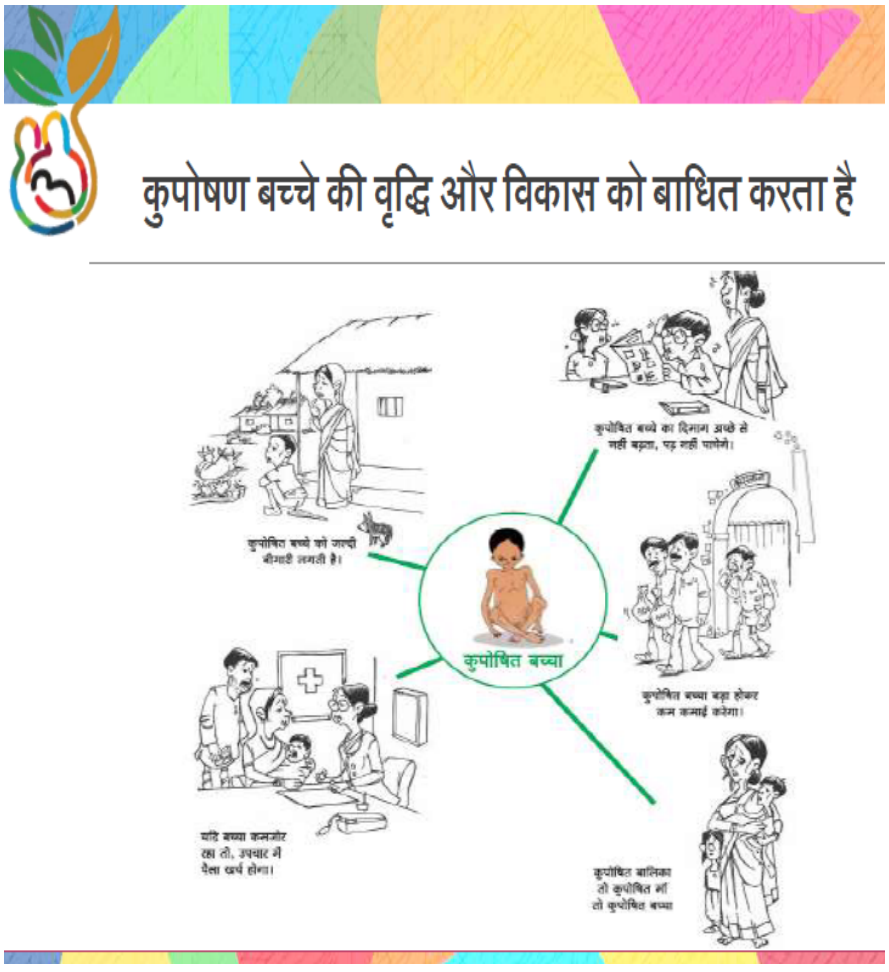

कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए पोषण अभियान प्रारंभ किया गया। कुपोषण सिर्फ प्रभावित परिवार की समस्या नहीं ,इसका प्रभाव सम्पूर्ण समाज गावं और देश के विकास पर पडता है। इसी बात के मद्दे नजर पोषण मिशन को जन आंदोलन बनाया गया जिसमें हमारी –आपकी सभी की भूमिका है। पोषण मिशन में तीन वर्ष से कम आयु वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों और समुदाय में बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन एवं उन्हें प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए पोषण अभियान बच्चे के प्रथम 1000 दिनों पर फोकस

करता है जिसमें गर्भावस्था के नौ महीने, सिर्फ स्तनपान के लिए छह महीने और अल्प–पोषण के समाधान करने हेतु उपायों पर बल देना एवं इसे सुनिश्चित करने हेतु 6 महीने से 2 वर्ष की अवधि शामिल है। बच्चें के विकास

में परिवार के साथ– साथ समुदाय की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हैं । परिवार में वही गतिविधिया अपनाई जाती है जिन्हे समाज स्वीकारता हैं । पोषण अभियान के तहत एक ऐसी पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य मातृ एवं बाल पोषण में सुधार के लिए समुदाय में व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है। समुदाय आधारित कार्यक्रम का आयोजन करना जिसमें विशेष ध्यान गर्भधारण एवं जन्म पूर्व शिशु, तथा नवजात शिशु (प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल) एवं शिशु के पहले दो वर्षों का परंपरागत रूप से लाभान्वित करना हैं। इन कार्यक्रमों का सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के अवसरों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। समुदाय आधारित समारोहों के अंतर्गत विषय मातृत्व/नवजात शिशु/बालक के स्वास्थ्य तथा पौश्टिकता कार्यक्रमों से सम्बंधित हो। इन कार्यक्रमो के लिए समुदाय से बातचीत कर सकते हैं। नियमित रुप से बैठको का आयोजन कर पोषण पर चर्चा अनिवार्यः कर सकते है। समुदाय में माहौल बनाने एवं जन आंदोलन को तेजी देने व परिणाम परख बनाने में विभन्न क्रियाशील मंचो जैसे – पंचायत राज संस्थाएं की मासिक बठैक , ग्राम सभा का आयोजन आदि का उपयोग किया जा सकता है। जिससे पोषण समुदाय का ,परिवार का और जन जन का रुचिकर एवं अपनाने वाला विषय बन जाएं। साथ ही यहॉ एक मंच मिलता है,इस मंच के माध्यम से समुदाय द्वारा महिला एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सम्बंधी सही व्यवहारों के अभ्यास के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

डॉ. वंदना तिवारी,
संकाय सदस्य

73वां संविधान संशोधन पंचायत राज ''व्यवस्था की आत्मा''

73वां और 74वां संविधान संशोधन गंगा के धरती पर उतरने की तरह से है, क्योंकि इस संविधान के संशोधन होते ही लोकतंत्र दिल्ली और भोपालसे नीचे उतरकर ग्रामीण क्षेत्रों की पिछड़ी से पिछड़ी पंचायतों, ग्रामों और कस्बों तक पहुंचा, यह संविधान संशोधन होते ही देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का स्वरूप इस प्रकार से लागू हुआ :–

जिला स्तर पर	–	जिला पंचायत
जनपद स्तर पर	–	जनपद पंचायत
ग्राम स्तर पर	–	ग्राम पंचायत

73वें संविधान संशोधन के तीसरे बिन्दु में ग्रामसभा को एक बहुत ही सशक्त बेड़ी के रूप में अपनाया है। इसे पचांयत स्तर पर ग्राम की एक संवैधानिक संस्था के रूप में समाहित किया गया है।

73वां संविधान संशोधन के जो मुख्य 8 बिन्दु हैं वह अपने आप में पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम वर्ष 1993 को पूर्ण साकार करते हैं। हर बिन्दु अपने आप में पंचायत राज की सफल अवधारणा को अवतरित करते हैं। पूर्ण ग्राम स्वराज म.प्र. में 26 जनवरी 2001 को लागू हुआ जिसमें हर ग्राम की अपनी खुद की ग्रामसभा होगी। अगर ग्राम सभा को हमें सफल बनाना है तो ग्राम के समस्त निवासियों को वर्ष में होने वाली सभी ग्रामसभाओं में पूरी ईमानदारी के साथ भाग लेकर इस 73वें संविधान संशोधन को ग्राम पंचायतों में पूर्ण रूप से लगू कर हर गरीब तबके की बस्ती को आर्थिक लाभ पहुंचाकर ग्रामसभा की अवधारणा को साकार कर सकते हैं और ग्राम में

सफल ग्रामसभाऐं करवाना ग्राम में निवासरत हर व्यक्ति का दायित्व है अगर हमारे ग्राम में पूर्ण कोरम के साथ ग्रामसभा सम्पन्न होगी तो 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक जो सफल ग्राम पंचायत विकास योजना बननी है वह

भी ग्राम की समस्त हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक मूलक कार्यों को समाहित करते हुए सफल ग्रामसभा होने के कारण सभी 29 विषयों पर मंथन करते हुए एक सशक्त ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण होगा, जिसमें ग्राम के विकास से संबंधी और उसमें निवासरत सभी ग्रामवासियों को पात्रता के आधार पर लाभ मिल सकेंगे एवं केन्द्र शासन तथा राज्य शासन से उन्हें उनकी विकास योजना के आधार पर वित्तीय लाभ भी मिल सकेंगे।

के.एस. परमार,
संकाय सदस्य

ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)

भारत के 73वें संविधान के अनुच्छेद–243(I) में पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये नियोजन/योजना बनाने का अधिदेश दिया गया है। पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों के परिपेक्ष में यह आवश्यक है कि पंचायतें मूलभूत सेवाएं प्रदान करने में एक जवाबदेह एवं सक्षम स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य क्षमता विकसित करे। पंचायत को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने हेतु अधिदेशित किया गया है। जी.पी.डी.पी. आयोजना प्रक्रिया व्यापक तथा भागीदारी पूर्ण प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए जो संविधान की ग्यारहवी अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी विभागो की योजनाओ के

साथ पूरे अभिसरण के साथ शामिल है। पंचायतों की ग्रामीण भारत के परिवर्तन में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है।

समुदाय को नियोजन, क्रियान्वयन व अनुसरण की जिम्मेदारी देने से विकास का दायरा विकसित होगा तथा संवहनियता भी बनी रहेगी। सहभागी नियोजन से जन आकंक्षाओं एवं सीमित संसाधनों के मध्य संतुलन, प्रत्येक हित धारकों की क्षमताओं में वृद्धि तथा सामुहिकता की भावना पैदा होगी। अतः समाज में प्रत्येक सदस्य

विशेषकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग जन एवं इत्यादि को विकास एवं नियोजन से जोडने पर वांछित लक्ष्य पाया जा सकेगा। ग्राम पंचायत में उपलब्ध मानव संसाधन/हितधारकों का क्षमता विकास कर उनका सदुपयोग सुविधाकर्ता के रूप में किया जा सकेगा तद्नुसार उनको स्थिति विश्लेशण, हितों व आवश्यकताओं के चिन्हिकरण का दायित्व सौंपा जा सकता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) का महत्व

ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)ग्राम पंचायत की विकास योजना है। यह एक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाएगा। जिसमें सभी हितधारकों के लिये उपलब्ध संसाधनों के साथ लोगों की जरूरतों एवं प्राथमिकताओं का मिलान करना शामिल है।

जी. पी. डी. पी. तीन मुख्य घटक है–

1. यह परिकल्पना (Vision) प्रदान करता है कि लोग अपने गांव को कैसा देखना चाहते हैं।
2. उस परिकल्पना (Vision) को प्राप्त करने के लिये स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है।
3. उन लक्ष्यों तक पंहुचने के लिये एक कार्ययोजना बनाना।

जी.पी.डी.पी ग्राम पंचायत स्तर पर निम्न प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है–

- पंचायतों को विकास योजनाओं तैयार करने के लिये सक्रिय करना एवं इस प्रकार स्थानीय सरकार के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना।
- शासन को जनता के अधिक निकट लाने हेतु लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये संगठित एवं प्रेरित करना।
- स्थानीय धारणा, स्थानीय मुद्दों पर बहस एवं प्राथमिकताओं को तय करने हेतु एक मंच प्रदान करना।
- लोगों द्वारा महसूस की गयी जरूरतों एवं उनकी इच्छाओं का आंकलन करना।
- विकास अंतराल के परिणामों की पहचान करना।
- गांव में उपस्थित समस्याओं एवं मुद्दों को प्राथमिकता देना।

- प्रभावी अभिसरण के माध्यम से उपलब्ध योजनाओं एवं संसाधनों को गांव में लाना।
- विभिन्न योजनाओं/विभागों/क्षेत्रों के लिये अभिसरण एवं एकीकरण उपलब्ध कराना।
- क्षेत्र के लोगों के हितों के लिये संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के अंतर्गत आच्छादित होने वाले मुख्य विषय

- आर्थिक विकास गरीबी में कमी
- मानव विकास
- सामाजिक विकास
- सतत् विकास लक्ष्य
- पारस्थितिक एवं पर्यावरण विकास
- सार्वजनिक सेवा वितरण
- सु–शासन
- कौशल विकास

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया

योजना के उद्देश्यों, ग्राम पंचायत की आवश्यकता आंकलन एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की परिकल्पना पर चर्चा की जाएगी। तद्पोरान्त ग्राम पंचायत/ग्राम सभा सामुहिक सहभागिता के माध्यम से सेक्टर वार लक्ष्य का निर्धारण करेगी तथा विभिन्न हितधारकों यथा स्वयं सहायता समूह, महिला दल, युवा दल, मनरेगा के जॉब कार्ड धारक, कृषक समूह, समुदाय आधारित संगठन आदि जैसी भी स्थिति हो के समक्ष गहन चर्चा हेतु रखा जाएगा। नियोजन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व ग्राम पंचायत/ग्रामसभा को प्राप्त समस्त संसाधन की जानकारी समय पर प्राप्त होना आवश्यक है, तद्नुसार ग्राम सभा सहभागी प्रक्रिया से जन आकांक्षाओं/आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करते हुए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर क्षेत्रवार/सेक्टर वार योजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगी। योजना निर्माण की परिकल्पना एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जायेगा, जिसमें तकनीकी सहायता समूह स्थिति विश्लेषण में ग्राम सभा की सहायता, ग्राम पंचायत परियोजना निर्माण में सहायता करेंगे। जिस विषय से सम्बन्धित प्राथमिकताएं निर्धारित होंगी, उसी विषय से सम्बन्धित विभाग के कार्मिकों की परियोजना निर्धारण में मुख्य भूमिका होगी।

पंकज राय
संकाय सदस्य

ग्राम संवाद एप सूचना से सशक्तिकरण

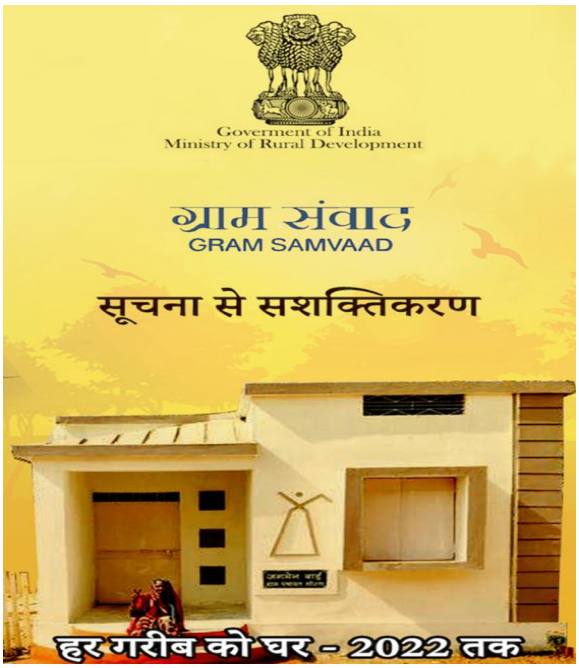

सरकार ने गॉवों को शहरों के जैसा बनाने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत गॉवों में मोबाइल यूजर सर्वे कराया गया, जिसमें पता चला कि अब गॉवों में भी लगभग 80 फीसदी लोग स्मार्ट फोन यूज कर रहे है। सरकार ने अपनी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुॅचाने के लिए 11 अक्टूबर 2017 ग्राम संवाद नामक एप लांच किया है। एप के माध्यम से ग्रामीण सभी योजनाओं की पूर्ण जानकारी ले सकेंगे। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर एवं आई ओ एस एप स्टोर से ग्राम संवाद एप डाउनलोड करना होगा।

एप को गॉवों में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रशासन की ओर से जागरुकता कार्यक्रम चलाए जा रहे है। एप पर योजनाओं की जानकारी हिन्दी के साथ अन्य कई भाषाओं में डाउनलोड है। यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ होने के कारण एप का ब्यौरा पढने में असमर्थ है, तो वाईस आप्शन में जाकर इसे सुन भी सकता है।

अभी भी बडी संख्या में जहां मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पेयजल आदि की समस्याएं है। ऐसे में सरकार ने डिजीटल इंडिया के तहत ग्राम संवाद एप लांच किया। गावों के लिए जारी विकास धनराशि के खर्च के साथ सभी योजनाओं को प्रगति ब्यौरा भी एप के माध्यम से बस एक क्लिक पर मोबाइल पर उपलब्ध हो जाता है।

दीप्ति यादव,
विकासखण्ड अधिकारी

स्व–सहायता समूह का परिणाम

जिला नरसिंहपुर अंतर्गत जनपद पंचायत चारपाठा अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहंगवां के ग्राम दमोइहा में श्रीमती सुधा विश्वकर्मा अपने दो बच्चो के साथ अपने मांबाप के पास इसलिये रहती थी क्योकि उसका पति उसे परेशान करता था एवं अलग रहता था। किन्तु उसने हार नहीं मानी। गांव में स्वसहायता समूह बनाकर समूह के माध्यम से समूह की बचत राशि से सिलाई का काम प्रारम्भ किया। जिससे सभी सदस्यो ने मिलजुल कर इसमें सहयोग किया। आज समूह की सदस्य कही से भी उधार नहीं लेते है। दो साल बाद समूह के सदस्यो के सहयोग से लगभग 1.00 लाख के कार्य से जनसहयोग से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में पहाड़ी पर लकड़ी के संरक्षण कार्य किया गया। अब गांव के लोग स्वयं समिति बनाकर समिति के माध्यम से उस लकड़ी का संरक्षण करते हैं। तथा अपने उपयोग में लाते हैं। यह हरियाली प्रोजेक्ट का परिणाम है। आज गांव के लोग खुशहाल हैं तथा पलायन नहीं करते हैं।

आर.पी. खरे, संकाय सदस्य

बदलाव की पहचान बने ग्रामीण क्षेत्र के चैम्पियन

श्रीमती सरोज सिंह, सरपंच ग्रा.पं. मझियार सेमरिया, जनपद पंचायत सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.)

व्यक्तिगत विवरण

- नाम – श्रीमती सरोज सिंह
- पद – सरपंच, ग्राम पंचायत
- उम्र – 5 वर्ष
- शैक्षणिक योग्यता – 8 वीं
- जाति वर्ग – सामान्य वर्ग
- ग्राम पंचायत का नाम – मझियार सेमरिया
- जनपद पंचायत का नाम – सिरमौर
- जिले का नाम – रीवा (मध्यप्रदेश)

ग्राम पंचायत की जानकारी :

- कुल जनसंख्या – 940
- महिलाओं की संख्या – 485
- पुरूषों की संख्या – 455
- 0 से 6 वर्ष के बालक – 180
- 0 से 6 वर्ष की बालिका – 145
- विधवा महिलाओं की संख्या – 36
- वरिष्ठ नागरिकों की संख्या – 66
- दिव्यागों की संख्या – 17
- ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ग्राम – ग्राम पंचायत के अन्तर्गत 3 ग्राम आते हैं। मझियार, नई बस्ती एवं हटहा

गांव में बदलाव लाने की कोशिश

- ग्राम सभा की बैठक में ग्राम विकास और सामाजिक न्याय के सभी विषयों से संबंधित निर्णय लिये जाते हैं। ग्राम सभा में सहभागिता के लिए हमने जागरूकता अभियान, घरों–घर संपर्क, दीवार लेखन के कार्य करवाये हैं।
- ग्राम सभा में ग्रामवासियों की पूरी सहभागिता प्राप्त हो रही है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में आनाज के गोदाम तैयार करवाये हैं जिससे किसानों को अपनी उपज संग्रहित करके रखने की सुविधा मिलने लगी है।
- समय–समय पर हम शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ हमाने ग्रामवासियों को मिले इसके लिए विशेष शिविरों का आयोजन करते हैं।
- हमारे गांव में पहले लोग खुले में शौच करने जाते थे। हम लोगों ने जागरूतका अभियान के माध्यम से उन्हें खुले में शौच करने नहीं जाने के लिए प्रेरित किया।
- समग्र स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी ग्रामों को खुल में शौच प्रथा से मुक्त करवाये जाने का सफल प्रयास किया गया।
- परिणाम स्वरूप वे सभी ग्राम ओडीएफ हो गये हैं।
- हमारी ग्राम पंचायत में ऐसा कोई घर नहीं है जिनमें व्यक्गित शौचालय न बनें हों।
- सीमेन्ट कांक्रीट सड़कों का निर्माण करवाया गया। जिससे गांव में आवागमन की सुविधा बढ़ी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत हमारी ग्राम पंचायत में 150 आवास तैयार करवाये गये हैं।
- गांव में मुक्तिधाम का निर्माण करवाया गया है।
- गांव में 7 माडल आवास बनाये गये हैं। ये आवास सीएसडीसीआई दिल्ली से प्रमाणपत्र प्राप्त डिमास्ट्रेटर की सत्त निगरानी में तैयार हुये हैं। प्रत्येक आवास में 7 राजमिस्त्रियों को कार्यस्थल पर ही आवास

बनते समय 45 दिवस का प्रशिक्षण दिया गया जिनका प्रमाणीकरण भी सीएसडीसीआई दिल्ली से कराया गया है। राजमिस्त्रीयों ने प्रशिक्षण लेने और प्रमाणपत्र मिलने के बाद मिस्त्री का अच्छे से काम करना प्रारंभ कर दिया गया है। उन्हें अब मजदूरी भी ज्यादा मिल रही है।

- ग्रामों के आवागमन और पानी की उचित निकासी के लिए चौदहवें वित्त आयोग से ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि से हमने कार्य कराये।
- ग्रामों की आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया।
- रोड़ के साथ ही साथ पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण कार्य कराया।
- ग्रामों में सड़क और नाली बन जाने से गंदगी दूर हुई।
- पानी निकासी होने से बीमारियां कम हुई।
- साफ–सफाई रहने लगी।
- शासन की जनकल्याणकारी योजना का सत्त लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
- हमारी ग्राम पंचायत में इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, 60 से 79 वर्ष एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन, कल्याणी पेंशन का योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ दिलाया जाता है।
- संबल योजना में सभी पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है।
- उज्जवला योजना के अन्तर्गत हमारी ग्राम पंचायत में शत्–प्रतिशत अति गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्रहियों को गैस कनेक्शन दिलाया गया है।
- हमारी ग्राम पंचायत में जो स्व–सहायता समूह चल रहे हैं उनके द्वारा बचत, बैठक, तेरह सूत्र का पालन किया जाता है।
- ग्राम पंचायत और स्व–सहायता समूहों के बीच अच्छा तालमेल है।
- विशेष अवसरों पर हम स्व–सहायता समूहों की सदस्यों को ग्राम पंचायत में आमंत्रित करके उनके अनुभवों पर चर्चा करते हैं।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

गोबर से ईको फ्रेंडली ईधन

भारत गांव में बसता है भारत कृर्षि प्रधान देश है कृर्षि के अलावा पशुधन गांव में आम आदमी के आमदनी बढाने का एक स्त्रोत है। वर्तमान में बिगडते पर्यावरण और गांव में पेड पौधे को बचाने के लिये पशुधन विशेष गाय पालन में कार्य योजना बनाकर रोजगार मूलक कार्यो में जोडने के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना में गाय पालन गतिविधि ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना चाहिये साथ गांव में लोगों को रोजगार मिले एवं आजिविका सुदृढ हो इस हेतु गोबर से ईको फेडंली गौ काष्ठ बनाकर लाभ लिया जा सकता है।

इंसान आपनी जरूरतो को पूरी करने के लिये लगातार पर्यावरण को नुकसान पंहुचा रहा है एक सर्वे के अनुसार एक तिहाई लकडी का इस्तेमाल अंतिम संस्कार में किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में साल भर के शव जलाने में तकरीबन 5 करोड वृक्ष काटे जाते है एक शव को जलाने के लिये 5

किवंटल लकडी की आवश्यकता होती है। 5 किवंटल लकड़ी के लिये दो बड़े पेड़ काटने पड़ते हैं जिसका खर्च करीब 4000 रुपये आता है। वहीं 5 किवंटल लकड़ी के स्थान पर गौ काष्ठ का प्रयोग किया जाये ।

लकडी के धुयें से बचाये रखने एवं पर्यावरण संतुलित रहे इसके लिये शुरूआत गांव से ही हो गांव में लकडी का विकल्प खोजना होगा इसके लिये घरेलु एवं औधोगिक दोनो प्रकार की जरूरतों के लिये प्राकृतिक गैस, पैट्रोल और कोयले पर निर्भरता बढती जा रही है। उर्जा के साथ गाय के गोबर को एक नये विकल्प के रूप स्थापित किया जाये।

19 वी पशु संगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में कुल गौवंशीय पशु लगभग 196.00 लाख है मध्य प्रदेश में देशी नस्ल गौवंशी का प्रतिशत लगभग 12–41 हैं। गौवंश की प्रचूर उपलब्धता को देखते हुये गौकष्ठ का उत्पादन करना एक फायेदमंद बिजनेस होगा।

गौकाष्ठ क्या हैः– पांरपरिक तरीके से गाय के गोबर से कंडे बनाये जाते है। इसकी परिवर्तित कर सूखे गोबर को जो लकडी के आकार होता है गौकष्ठ कहा जाता है। गौकष्ठ हस्तचलित एवं विद्युत मशीन दोनां तरीकों से तैयार किया जाता हैं। 4 से 5 फिट लम्बे लकडी के आकार में ढाला जा कर 4 से 6 दिन सुखाया जाता है और गौ काष्ठ तैयार हो जाता है।

गौ काष्ठ लागत 7/– प्रति किलो आती है गौकाष्ठ का उपयोग शवदाह, होलिका दहन यज्ञ हवन रसोई घर में किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र में गौ काष्ठ बनाने हेतु महिला स्वःसहायता समूह को

एसआरएलएम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा सकता है एवं समूह के माध्यम ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार दिया जा सकता है।

मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन बोर्ड के द्वारा किये गये प्रयासो से गौशालाओं का निर्माण एवं गौकष्ठ बनाया जा सकता है।

गौकष्ठ –गाय के गोबर से ईको फेंडली ईधन बनाने पर पर्यावरण और पेड पौधे सुराक्षित रहेगें धुंये से निजात मिलेगा और वायु प्रदुषण पर नियंत्रण होगा एवं गौकाष्ठ से ग्रामीण जनों को रोजगार की प्राप्ती होगी।

रविन्द्र पाल,
कम्प्यूटर प्रोग्रामर

प्रसंगवश–14 नवम्बर ''बाल दिवस'' पर विशेष
कुण्ठित हो रहा है बालकों का बचपन

14 नवम्बर को हमारे प्यारे चाचा नेहरू का जन्मदिन, नेहरू जी को बच्चों से बहुत अधिक प्यार व लगाव था, अतः उनके जन्मदिन को ''बाल दिवस'' के रूप में देशभर में मनाया जाता है, इस दिन बच्चों के कल्याण के लिये अनेक कल्याणकारी योजनायें प्रारंभ की जाती है, उनके संबंध में सेमीनार, कार्यशालायें, प्रदर्शनी इत्यादि आयोजित कर उन्हें पुरुस्कृत भी किया जाता है, बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए कृत संकल्पित स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाता है, किन्तु क्या मात्र इतने भर आयोजनों से हम बच्चों को वो खुशी दे पाते हैं जिसके वे हकदार हैं, क्या उन्हें हम वे सुविधायें दे पायेंगे जो उन्हें चाहिए, कहते हैं बच्चों का बचपन गीली मिट्टी की तरह होता है, जैसा उसको आकार देंगे वैसा वो बन जाएगा, अर्थात् बच्चों को आप जैसे संस्कार देंगे वैसे ही बच्चे आगे बनेंगे, अच्छे संस्कार गढ़ने से बच्चा संस्कारवान होगा, नहीं तो अंसस्कारित होने से अपराध की दुनिया को चुनेगा।

यह सर्वविदित है कि समय के साथ किशोरों, यहां तक कि नन्हें बच्चों की भी मानसिक आयु बढ़ी है, पश्चिमी संस्कृति ने हमारे दृश्य प्रचार माध्यमों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, हमारे वर्तमान की त्रासदी है कि हम उन संस्कारों की उपेक्षा कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति का मेरूदण्ड अर्थात् हमारी संस्कृति का आधार है, संस्कार मनुष्य के जीवन चक्र को व्यवस्थित व सुचारू रूप से चलायमान करने में अत्याधिक सहायक है, वे शरीर, मन, बुद्धि के स्वस्थ विकास के साथ–साथ जीवन में सद्गुणों की प्रतिष्ठा व अंतःकरण की शुद्धता भी बढ़ाते हैं, बाल्यकाल में जैसे संस्कार बच्चों को दिये जावेंगे वैसे ही उनको बच्चे ग्रहण करते हैं।

पुराने समय में घर में संयुक्त परिवार में निवास करते थे, घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें अच्छे संस्कार देते थे, किन्तु आज एकल परिवारों के कारण हम अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाते, हमें पता भी नहीं चलता कि कब बच्चों की बालवस्था, किशोरावस्था तक पहुंच गई व कब बालक युवा तरुण हो गये, युवा होते होते पक्का मजबूत घड़ा तैयार हो जाता है, अब वह अपने संस्कारों में पला बढ़ा होता है, जिसको डॉट–डपट या अन्य तरीके से हम राह पर नहीं ला पाते, इस स्थिति में भी हम बच्चों के ऊपर ही दोषारोपण करते हैं, जबकि गलती हमारी ही होती है, बचपन में हमारा ध्यान बालक की ओर बिलकुल भी नहीं होता। इस तरह वे जहां जाते हैं वहां की सीख, सीखकर आ–जाते हैं व उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं।

आज एक फैशन सा चल पड़ा है, बच्चा 02 वर्ष का हुआ नहीं, कि उसे उसके माता–पिता विद्यालय में भेज देते हैं, तथा इस बात का उन्हें घमण्ड होता है, कि हमारा 02 वर्ष का बच्चा स्कूल जाने लगा, जबकि 02 वर्ष की अवस्था किसी भी प्रकार से स्कूल जाने योग्य नहीं होती है, इस उम्र में उसे माता–पिता का प्यार मिलना चाहिये वो उसे नहीं मिल पाता, अब तो गर्भस्थ शिशु को भी स्कूल भेजने की तैयारी होने लगती है। आजकल बच्चों के माता–पिता दोनों नौकरी पेशा होते हैं, बच्चों के लिए उनके पास समय ही नहीं होता।

अतः वे उन्हें किसी झूलाघर अथवा किसी आया के हवाले कर देते हैं, एक घटना के अनुसार अभी हाल ही में बेंगलुरू में एक आया बच्चे से भीख तक मंगवाती थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, जिन बच्चों का बचपन घर, आंगन व उनके परिवार के बीच गुजरना चाहिये वो बचपन आज या तो सड़कों पर भीख मांगते गुजर रहा है या बाल मजदूरी करते गुजर रहा है अथवा कैमरे व वीडियो में कैद हो गया है, इन निर्मित होने वाली परिस्थितियों के लिए अभिभावक ही पूर्णतः उत्तरदायी हैं, चन्द रूपयों की खातिर तथा प्रसिद्धी की लालसा के लिए वे अपने नौनिहालों का बचपन दांव पर लगा देते हैं।

हमारे देश में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से मजदूरी व श्रम कराना कानूनी जुर्म है, किन्तु आज कैमरे के सामने, धारावाहिकों व फिल्मों में बच्चों से काम लेना अपराध की श्रेणी में नहीं आता? धारावाहिकों व फिल्मों में बच्चों से दिन भर शूटिंग करवाना भी एक प्रकार का श्रम व मजदूरी है, इसमें भले ही उनसे शारीरिक श्रम कम करवाया जाता होगा, किन्तु मानसिक श्रम तो सीमा से अधिक करवाया जाता है, ऐसी स्थिति में कहीं बालपन व उनकी बाल बुद्धी समय से पूर्व ही उम्र दराज तक न पहुंच जावे इसका ध्यान रखना आवश्यक है, ''रियालिटी शो'' के नाम पर बच्चों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है यह सर्व विदित है।

बच्चों को 2–3 वर्ष की अवस्था में विद्यालयों में भेजने से उसका बचपन समाप्त हो जाता है, पढ़ाई का बोझ, किताबों का बोझ, माता–पिता की अपेक्षाएँ अपने बच्चों के प्रति अचानक बढ़ जाती है।

आज शिक्षा प्रणाली की समस्यायें, पढ़ाई का बोझ, इससे उत्पन्न तनाव, तनावों के कारण विद्यार्थियों की आत्महत्या, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालयों की हड़ताल, बढ़ती गुण्डागर्दी, तालाबंदी, शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती राजनीति आदि तमाम समस्याओं की सुरसा राक्षसी की तरह लम्बी सूची बन सकती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका के बच्चों में मानसिक तनाव लगातार बढ़ रहा है, वहां 06से 17 वर्ष आयु के बच्चों में से 25% मानसिक तनावग्रस्त रहते हैं। भारत में भी कम उम्र के बच्चों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है, यह चिन्ता का विषय है। मानसिक तनाव बढ़ने के अनेक कारण है, जिनमें बच्चों से उनके पालकों की बढ़ती अपेक्षायें, बच्चों में एक–दूसरे से आगे बढ़ने की

प्रवृत्ति व माता–पिता के बीच टूटते रिश्ते इत्यादि, इन सभी कारणों के मूल में जाने पर हम पायेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति व भौतिकवादी रहन सहन ने हमारे घरों को अपना निशाना बनाया है, तथा हम चाहते हुए भी, अब उन पाश्चात्य संस्कारों से अपने आपको बाहर निकालने में समर्थ हैं। अब यदि हम बच्चों से अच्छे संस्कारों की बातें भी करते हैं तो पहले तो वे उसको सुनने को तैयार ही नहीं होते यदि एक मिनिट के लिए सुन भी लिया तो कहते हैं ''आप कौनसे जमाने की बात कर रहे हैं'' ''दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप तो वही पुरानी दकियानुसी, घिसी, पिटी बातें लेकर बैठ गये हो, सामाजिक वातावरण में इतना विष घुल गया है कि उस विष ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। आज सामाजिक वातावरण इतना दूषित हो गया है कि बच्चे को न तो घर में तथा न तो समाज में अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, समाज में अपराध की घटनायें बढ़ रही हैं, तथा लूट, बलात्कार की घटनाओं का बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के अविकसित मन में हिंसा के प्रति आकर्षण पैदा करने के कारण वीडियो गेम्स की अनदेखी नहीं की जा सकती, उनमें हिंसक व्यवहार प्रेरित करते हैं, जिसके बाद बच्चे असल जिन्दगी में भी वैसा ही बर्ताव करने लग जाते हैं। संवेदनशील बच्चे इन घटनाओं की तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि बाल मन परिपक्व नहीं होता है। प्रतिस्पर्धा के युग में वह अनुचित साधन भी अपनाता है तथा प्रतिद्वंदिता की भावना में अनायासहिंसक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।

बच्चे के प्रति पालकों का व्यवहार आज औपचारिकता मात्र रह गया है। पालक दिन भर बाहर रहते हैं, वे बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर पाते, बच्चों की गतिविधियों पर भी उनका ध्यान नहीं होता, परिणाम पालकों का मार्गदर्शन भी उन्हें नहीं मिलता, बच्चों द्वारा लिये जा रहे निर्णय उचित हैं अथवा अनुचित इसका भी ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि बच्चों की देखभाल उनके पालक नहीं, आया या नौकर करते रहते हैं। पालकों का अत्याधिक लाड़–प्यार भी उन्हें जिद्दी बनाने में जिम्मेदार हैं। यदि बच्चों की मांग पूर्ण नहीं होती है तो उनमें हिंसक प्रवृत्ति जन्म लेती है, क्योंकि वह मांगपूर्ति के लिये अनुचित साधन अपनाता है, जो आगे चलकर हिंसक प्रवृत्ति में तब्दील हो जाता है तथा अपराध के लिये प्रेरित हो जाता है। अतः आवश्यक है कि बच्चों के प्रति लगाव पालकों में होना चाहिए, उनके हित अथवा अहित का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके लिए समाज में स्वस्थ वातावरण का निर्माण होना चाहिए। बच्चों की समस्याओं का यथायोग्य समाधान किया जाना चाहिए।

सीमित परिवार के कारण आज बालक अपने आपको अकेला मेहसूस करता है, यह कमी भी सामाजिक वातावरण व परिवार में सामंजस्य बनाकर पूरी की जाना चाहिए, आज बाल दिवस के दिन बच्चों को उनका बचपन पुनः वापस करने का संकल्प लेना चाहिए, जो बालपन वे खो चुके हैं, उसको पुनः बालकों में जीवित करने के लिये हमारे समाज व परिवार को भारतीय संस्कृति के संस्कारों से उन्हें संस्कारित करने की आवश्यकता है।

पाश्चात्य संस्कृति के कारण फैल रहे सामाजिक प्रदूषण को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। बालपन को समझने के लिए वातावरण का निर्माण व साधन भी होना चाहिए। आज अनेक ऐसे खेल हैं जो बचपन में ही खेले जाते हैं, उनको हम भूल चुके हैं। समाज व परिवार को आज बचपन को पुनः प्रभावी व प्रफुल्लित करने के लिए रंग बिरंगी खुशबू बिखेरने की आवश्यकता है।

संजय जोशी,
संकाय सदस्य

अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट उपबंधों में ग्रामसभा का सशक्तिकरण

हमारा देश ग्रामों का देश है। **महात्मा गॉधी जी कहा करते थे कि " मेरा भारत गॉवों में रहता है।** उनका यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि भारत का लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या गॉवों में रहती है।

स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान कि साथ ही भारत में स्थानीय शासन के क्षेत्र में नये युग का प्रारम्भ हुआ। संविधान द्वारा स्थानीय शासन के विषय को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया। साथ ही केन्द्र सरकार सदैव ही इसकी प्रगति के लिए प्रयत्नशील रही है। प्रगति के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 की मूलभावना के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों गॉव में ग्राम पंचायतों को स्वशासन की स्वराज की इकाई के रूप में सशक्त करने हेतु 73 वॉ संविधान संशोधन किया गया । जिसे देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 बनाकर तैयार किया गया। जिसे 26 जनवरी 1994 से पूरे प्रदेश में लागू किया गया। जिसमें पंचायत राज व्यवस्था को त्रि–स्तरीय करते हुए ग्रामसभा को संसद तथा विधानसभा की तरह संवैधानिक संस्था माना गया।

''ग्राम सभा के पंच जुड़े है परमेश्वर के रूप ।

जन विश्वास और श्रद्वा के भाजन सभी अनूप।।

ग्राम विकास,स्वावलम्बन हित, सेवा का अध्याय।

कर्तव्यों –व्यवहारों में अब होगा – दर्शित न्याय।।

अनुसूचित क्षेत्रों को ''अनुसूचित क्षेत्र'' नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि संविधान की पॉचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) में इसका वर्णन है । ऐतिहासिक तौर पर इन अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में आम कानूनों के सामान्य क्रियान्वयन से दूर रखा गया है। जिससे इन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों के सामाजिक रीति–रिवाजों और परम्परागत प्रथाओं संरक्षित रखा जा सके । देश में नौ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र की श्रेणी में आते है जिसमें म.प्र. को भी शामिल किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में एक पूरा जिला या एक जिले के भीतर ब्लॉक या पंचायत ,गॉव या पटवारी हल्का शामिल हो सकता है।

73 वॉ संविधान अधिनियम 1992 के प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करने हेतु श्री दिलीप सिंह भूरिया (सांसद) की अध्यक्षता में 22 सदस्यो की समिति गठित की गई जिसके सुझावों को ध्यान में रखते हुए , भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 'ड' के खण्ड (4) 'ख' में अपेक्षित अनुसार संसद में '' पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार '' अधिनियम 1996 पारित किया गया। जिसका उद्देश्य संविधान की पॉचवी अनुसूचित के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की पंचायतराज संस्थाओं का सशक्तिकरण है। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार ''ग्रामसभा'' ऐसी निकाय है जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्रम स्तर पर उस क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ''ग्रम'' अनुसूचित क्षेत्र में कोई ऐसा ग्रम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटे गॉवों का समूह होगा जिसमें समुदाय रहता हो और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता है। ग्रम सभा की धारा 129–ख में गठन किया गया है। व ग्राम के लिए जैसा कि उपधारा –1 में परिभाषित है, जिसके अनुसार प्रत्येक ग्राम में एक ग्रामसभा होगी। लेकिन ग्रामसभा के सदस्य यदि चाहे तो एक ग्राम में एक से अधिक ग्रामसभाओं का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्रमसभा के क्षेत्र में आवास या आवासो का समूह अथवा छोटे गॉव का समूह होगा जिसमें समुदाय रहता हो और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंधन करते हो।

ग्राम सभा आयोजन

म.प्र. पंचायतराज एंव ग्रम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 4 ग्रामसभा होना अनिवार्य है।

1. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस
2. 14 अप्रैल डॉ. अम्बेडकर जयंती
3. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
4. 2 अक्टूबर गॉधी जयंती

साथ ही आवश्यकता होने पर विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन भी किया जा सकता है। जिले के कलेक्टर ग्रमसभा की बैठकों के समुचित

इंतजाम के लिए एक शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को ग्रमसभा की कार्यवाहीयों के संचालन के लिए नियुक्त करते है।

ग्रामसभा की बैठक की सूचना

1. ग्रामसभा की प्रत्येक बैठक की सूचना ग्रमसभा के सदस्यों को देना अनिवार्य है।
2. बैठक की सूचना कम से कम 7 दिवस पूर्व दी जायेगी।
3. सूचना में बैठक का स्थान, बैठक की दिनांक एवं समय स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
4. बैठक में क्या कार्य होगे, चर्चा के क्या विषय ऐजेण्डा होगे यह स्पष्ट रूप से प्रारूप अनुसार लिखकर गॉव के सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाएगा, साथ ही सूचना के लिए डोंडी पिटवाकर गॉव के हर मोहल्ली में भी जानकारी दी जाएगी। विशेष दशा मे भी दी जायेगी। विशेष दशा में ग्रामसभा की बैठक तीन दिवस पूर्व की सूचना पर बुलाई जा सकती है।

ग्रामसभा का कोरम गणपूर्ति

म.प्र. पंचायतराज एवं ग्रम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्रामसभा की बैठक में ग्रामसभा के कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10 वॉ भाग या 500 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित होगी एवं स्थगित बैठक में ऐजेण्डे के विषय में कोई नया विषय नहीं जोड़ा जा सकेगा। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी, जो ग्राम पंचायत सरपंच या उपसरपंच या कोई सदस्य न हो और जो उस सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया गया हो।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्रम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत् ग्रामसभा को संसद, विधानसभा जैसे अधिकार देकर ग्रमसभा को सशक्त करने का प्रयास किया गया है।

अरविंद सोनगरे,
संकाय सदस्य

नशीले पदार्थो के दुरूपयोग की रोकथाम (Drug Abuse Prevetion) विषय पर पंचायतराज कार्यान्वयकों हेतु क्षमतावर्धन कार्यक्रम

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर के आदेशानुसार दिनांक 19.11.2019 से 21.11.2019 तक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी जिला सिवनी (म.प्र) में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला सिवनी 16 जिला छिंदवाडा 14 जिला बालाघाट 07 जिला मंडला 03 जिला नरसिंहपुर 01 कुल 41 प्रतिभागी उपस्थित रहे। प्रतिभागियों में जनपद स्तरीय मास्टर रिसोर्स परसन,सरपंच,सामाजिक कार्यकर्ता समूह के सीआरपी शामिल हुये।

प्रथम दिवस – में सत्र संचालक सी.के.चौबे संकाय सदस्य द्वारा प्रशिक्षण रूप रेखा एवं प्रशिक्षण के विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी। कु. श्वेता मौर्य ई गर्वनेस प्रबंधक सिवनी द्वारा नशे के संबंधित मिथर एवं भ्रांतिया विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

द्वितीय दिवस – श्री शैलेन्द्र कुमार सचान प्राचार्य ईटीसी सिवनी द्वारा प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया गया नशामुक्ती केन्द्र लूधरवाडा जिला सिवनी का भ्रमण कराया गया प्रतिभागियों द्वारा केन्द्र का भ्रमण का यह जाने कि कैसे नशामुक्ती संचालित होता है।

भ्रमण के पश्चात् डॉ. मुकुन्द वासनिक रिटायर्ड जिला मेडीकल आफीसर इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय सिवनी द्वारा नशा उपचार पुर्नवास उपलब्ध सेवायें एवं नेटवर्किंग के विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

तृतीय दिवस – श्री व्ही.एस. बरूआ रिटायर्ड जिला पंचायतराज अधिकारी जिला सागर (म.प्र) द्वारा नशे की रोकथाम स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम 2015 तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम पंचायतराज संस्थाओं की भूमिका पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों को श्री शैलेन्द्र कुमार सचान प्राचार्य ईटीसी सिवनी द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिये गये एवं सभी प्रकार के नशा नही करने के लिये शपथ दिलायी गई ।

प्रशिक्षण को व्यवस्थित रूप से संपादित करने में सभी संकाय सदस्य एवं समस्त कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

पेय जल स्वच्छता प्रबंधन प्रशिक्षण (SBM)

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान इन्दौर, में जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 18/11/2019 से 22/11/2019 तक का आयोजन किया गया। में प्रथम दिवस संचालक महोदय महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, अधारताल, जबलपुर डॉ. सजय कुमार सराफ के मुख्य अतिथि द्वारा सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया गया।

स्वागत भाषण संयुक्त विकास आयुक्त प्रतीक सोनवलकर द्वारा दिया गया तथा अतिथियों का स्वागत संस्थान के प्राचार्य/उपायुक्त विकास बी.एस. मण्डलोई द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण पर माननीय संचालक महोदय द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, मार्गदर्शन में जिला स्तर पर पेय जल स्वच्छता प्रबंधन प्रशिक्षण मेनेजमेन्ट यूनिट स्थापित एवं क्षमता वर्धन के लिए मास्टर ट्रेनर की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। शासन द्वारा खुले में शोंच मुक्त होंने के पश्चात जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पेय जल स्वच्छता प्रबंधन पर किये जाने वाले प्रशिक्षण एवं कार्ययोजना पर विस्तार से बताया गया।

प्रशिक्षण में महाराष्ट्र पुणे संस्था प्रिमो के संचालक नीलेश कुलकर्णी द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा 05 दिवस में प्रशिक्षण विधि भ्रमण पेय जल स्वच्छता (सुजल एवं स्वच्छ गांव) पर किये जाने वाले भविश्य में प्रशिक्षण एवं प्रबंधन पर प्रकाश डाला गया।

शुभारंभ अवसर पर शाबीर इकबाल एवं संस्थान के संकाय सदस्य उपस्थित थे।

प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार दिनांक 21/11/2019 चतुर्थ दिवस क्षेत्रीय भ्रमण ग्राम अवलाय जनपद पंचायत महूँ , जिला इन्दौर में गांव का भ्रमण किया गया गांव के लोगो से चर्चा की गई, उनकी समस्या, उपाय, जिम्मेदारी, निराकरण अवधि, संसाधन एवं निगरानी, पानी का बजट, जल की गुणवत्ता का वि लेशण किया गया। ग्रामीणों का जीवन, अच्छा स्वस्थ, सम्पन्न कैंसे रहे बताया गया। भ्रमण के दोरान ग्राम पंचायत सरपंच

श्रीमति राधा बाई तुलसीराम प्रजापति एवं जनपद पंचायत महूँ की स्वच्छ भारत मिशन समन्वयक अधिकारी श्रीमति हेमा नाजगड़, संकाय सदस्य श्रीमति उर्मिला पंवार तथा श्री चन्द्रेश कुमार लाड़ उपस्थित रहे, कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया गया।

प्रथम दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्राचार्य/उपायुक्त विकास बी.एस. मण्डलोई द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया तथा कार्यक्रम का संचालन रामशंकर शर्मा द्वारा किया गया।

चंद्रपाल सिंह चौहान,
संकाय सदस्य